SCHOOL CHOICE
Fund Students, Not Schools!

स्कूल वाउचर्स फॉर गर्ल्स
२००६–२०१३

अभिभावक निर्देशिका

स्कूल वाउचर्स फॉर गर्ल्स
अभिभावक निर्देशिका

सामग्री सूची

स्कूल वाउचर्स फॉर गर्ल्स..........2
स्कूलों को नहीं, छात्रों को दें फँड!..........4
स्कूल चयन अभियान..........5
परियोजना की समय सीमा..........9
सहयोगी स्कूलों के बारे में सूचना..........10
सहयोगी स्कूलों का संपर्क..........18
स्कूलों का चुनाव करने संबंधी दिशा निर्देश 22
अदायगी सूचना..........22

स्कूल वाउचर्स फॉर गर्ल्स

स्कूल वाउचर्स फॉर गर्ल्स एक स्कूल वाउचर परियोजना है। स्कूल च्वाइस कैंपेन (एससीसी) इस परियोजना को पूर्वोत्तर दिल्ली क्षेत्र में चला रही है। परियोजना उन छात्राओं पर केंद्रित है, जिन्होंने राज्य सरकार द्वारा संचालित किसी विद्यालय से पहली कक्षा की शिक्षा पूरी कर ली है। इस परियोजना में उन्हें अगले कुछ सालों तक अपनी पसंद के स्कूलों में दाखिला लेने का अवसर प्रदान किया जाएगा। परियोजना में अगले चार सालों तक छात्रा की शिक्षा का खर्च (पहले साल के लिए अधिकतम 3700 रुपए, और इसके बाद प्रत्येक साल इस राशि में 100 रुपए की बढ़ोतरी) उठाने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि उनकी प्राथमिक शिक्षा सफलता पूर्वक पूरी हो सके।

स्कूल वाउचर्स फॉर गर्ल्स ने इस वाउचर परियोजना के लिए पूर्वोत्तर दिल्ली के सात वार्डों का चुनाव किया है। ये वार्ड हैं : वेलकम कॉलोनी, चाहर बाजार, जाफराबाद, न्यू उस्मानपुर, मौजपुर, जनता कॉलोनी, और बाबरपुर। इस क्षेत्र में अल्पसंख्यकों और सामाजिक रूप से पिछड़े समुदाय के लोगों का घनत्त्व काफी अधिक है। इस क्षेत्र में कराए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार यहां 2009 में कुल 2583 छात्राओं ने दिल्ली नगर निगम के स्कूलों से पहली कक्षा की पढ़ाई पूरी की है।

अपुष्ट प्रमाणों से पता चलता है कि आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े परिवारों में बालिकाओं को आमतौर पर नहीं पढ़ाया जाता है। इस परियोजना में स्कूल वाउचर का प्रावधान कर इस लैंगिक भेद–भाव को मिटाने की कोशिश की गई है। सामाजार्थिक रूप से पिछड़े परिवार की छात्राओं के रूप में पारंपरिक रूप से एक पिछड़े समूह को लक्षित कर इस परियोजना के माध्यम से स्कूल वाउचर की सशक्तीकरण क्षमता को भी प्रदर्शित करने की कोशिश की गई है।

आवेदन और चुनाव

परियोजना के पहले चरण में स्कूल वाउचरों के बारे में जागरूकता फैलाई गई। 'सोशल एक्शन विद योर असिस्टेंस' (साया) के सहयोग से योग्य बालिकाओं के अभिभावकों को परियोजना के बारे में बतलाया गया और उन्हें आवेदन करने के लिए प्रेरित किया गया। आवेदन पत्र भरने में उनकी मदद की गई। स्कूल वाउचर के लिए आवेदन करने वाले सभी बच्चे एक एप्टीट्यूड एसेसमेंट स्टडी का हिस्सा थे, जो लर्निंग एचीवमेंट के लिए बेसलाइन के रूप में काम करेगी। वाउचर पाने वाली सफल छात्राओं का चुनाव एक रैंडम कंप्यूटर प्रोग्राम के माध्यम से किया जाएगा। यह कंप्यूटर प्रोग्राम 'लॉटरी' के जैसा होगा।

वाउचर एवं स्कूल

चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद अभिभावक सूची में शामिल स्कूलों में से अपने बच्चे के लिए एक स्कूल का चुनाव करेंगे। स्कूल का चुनाव कर लेने के बाद अभिभावक अपनी पसंद के उस स्कूल में बच्चे के दाखिले के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसी समय अभिभावकों को तय की गई राशि (उदाहरण के तौर पर पहले साल 3700 रुपए) के वाउचर प्रदान किए जाएँगे। चारों वाउचरों में बराबर राशि अंकित होगी, जिसका उपयोग अभिभावक हर तिमाही स्कूल की फीस अदा करने में कर सकते हैं। स्कूल वाउचर एक सुरक्षित मौद्रिक उपकरण है, जिसका उपयोग चुने हुए स्कूल की फीस अदा करने के अलावा और किसी दूसरे काम में नहीं किया जा सकता है। यही नहीं, निर्दिष्ट अवधि के समाप्त होने के बाद इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा।

स्कूलों को नहीं, छात्रों को दें फँड!

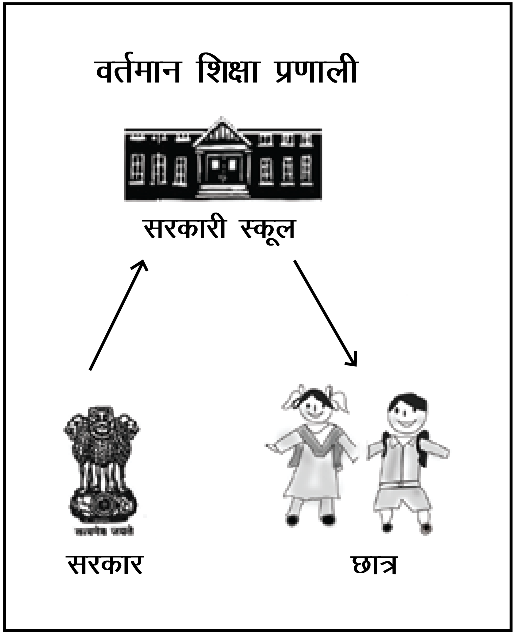

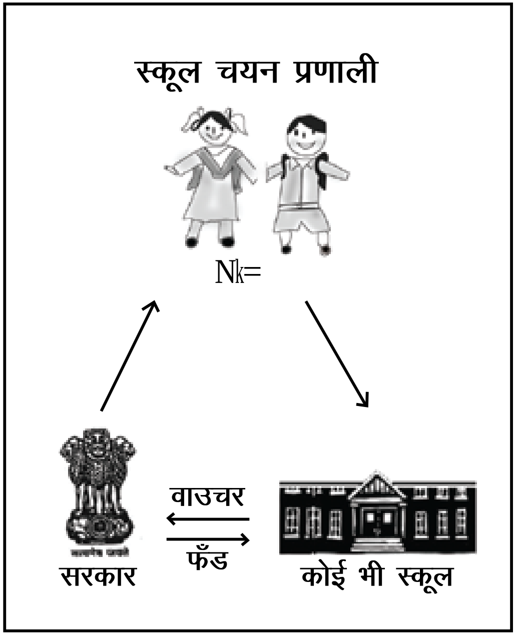

सभी बच्चों को पढ़ाना सरकार का संवैधानिक दायित्त्व है, पर हमारा मानना है कि नए–नए सरकारी स्कूल खोलकर सरकार अपने इस दायित्त्व को सफलतापूर्वक पूरा नहीं कर सकती है। सरकार को एक प्रायोजक तथा सुविधा प्रदाता की भूमिका निभाते हुए शिक्षा उद्यमियों को इस कार्य को करने का अवसर देना होगा। इससे जहाँ गरीब अपने लिए स्कूल चुन पाएँगे और वहीं प्रतियोगिता के कारण शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। इसीलिए हमारा नारा : **स्कूलों को नहीं, छात्रों को दें फँड!**

शिक्षा चयन का अधिकार

स्कूल चयन अभियान का यह दृढ़ विश्वास है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तभी संभव है जब हमारी शिक्षा पद्धति में जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाए। स्कूल चयन संबंधी अनेक क्राँतिकारी विचारों में से 'स्कूल वाउचर' नीति में सुधार करने वाला एक औज़ार है। स्कूल वाउचर देकर विद्यार्थियों को स्कूल चुनने के विकल्प दिए जा सकते हैं। अभिभावकों को दिए हुए विकल्पों में से अपने बच्चों के लिए सर्वोत्तम स्कूल चुनने की ताकत मिलती है, इस तरह उन्हें सर्वोत्तम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की मांग करने की ताकत मिलती है। स्कूल वाउचर शिक्षा देने की एक उपयुक्त और पारदर्शी पद्धति है।

भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है। बहरहाल, स्कूल वाउचर सभी बच्चों को अपनी पसंद की शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है।

स्कूल चयन अभियान

स्कूल चयन, नीति में सुधार करने वाला विचार है। इसका विकास बच्चों की शिक्षा–दीक्षा पर अभिभावकों का स्वामित्व सुनिश्चित कर उनकी ज़िम्मेदारी और सहभागिता बढ़ाने के लिए किया गया है। इसमें स्कूल वाउचर के माध्यम से ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा का खर्च वहन किया जाता है। साथ ही स्कूल चयन की रूप–रेखा सरकारी शिक्षा की गुणवत्ता में असमानता कम करने तथा कार्यक्षमता और पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य को ध्यान में रखकर तैयार की गई है।

हमारा कार्य सात राज्यों में एक साथ चल रहा है। ये राज्य हैं – दिल्ली, झारखंड, उत्तरप्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तमिल नाडु और बिहार। स्कूल चयन अभियान ने स्कूल चयन के संदेश को नीति निर्माताओं,

राजनीतिज्ञों और सबसे महत्त्वपूर्ण आम लोगों तक ले जाने के लिए इन उपर्युक्त राज्यों में 250 सदस्य एनजीओं के साथ लंबी अवधि की साझेदारी की है। अब तक हमें 1,21,00,000 अभिभावकों से संपर्क करने में सफलता मिली है और इस प्रक्रिया में हमने स्कूल वाउचर की मांग करने वाली याचिका पर कुल 27,38,546 हस्ताक्षर भी इकट्ठा किये हैं।

दिल्ली वाउचर परियोजना

स्कूल चयन अभियान भारत की पहली स्कूल वाउचर पायलट परियोजना – दिल्ली वाउचर परियोजना का संचालन कर रही है। इसके तहत तीन वर्षों (2007–2009) की अवधि में दिल्ली के 68 वार्डों के कुल 408 विद्यार्थियों के बीच उनकी शिक्षा का खर्च वहन करने के लिए 3,600 रुपए मूल्य के वाउचर वितरित किए गए हैं।

सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज़ द्वारा इस परियोजना के थर्ड पार्टी शोध अध्ययन से पता चलता है कि बच्चों के लर्निंग एचीवमेंट में काफी सुधार हुआ और बच्चों की रोज़ाना की पढ़ाई में अभिभावकों की सहभागिता भी काफी बढ़ी। अंग्रेजी, गणित और हिंदी विषय में लिए गए तीन अलग–अलग टेस्टों में वाउचर वाले विद्यार्थियों ने जहां सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों से बेहतर प्रदर्शन किया, वहीं निजी स्कूलों में अपने खर्च पर पढ़ने वाले बच्चों के समान प्रदर्शन किया। वाउचर पाने वाले और अब निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के 90 प्रतिशत से अधिक अभिभावक बच्चों के शैक्षिक विकास, उनके शिक्षक और स्कूल के अनुशासन से खुश थे। नतीजा –अभिभावकों की संतुष्टि और सहभागिता दोनों बढ़ी।

एक्शन फॉर स्कूल एडमिशन रिफॉर्म्स (ASAR/असर)

नर्सरी स्कूलों के दाखिले में होने वाले गोरखधंधों के खिलाफ अभिभावकों को मदद करने के लिए स्कूल चयन अभियान और www.nurseryadmissions.com ने 2008 में एक नई पहल 'एक्शन फॉर स्कूल एडमिशन रिफॉर्म्स' (ASAR) शुरू की। एएसएआर नर्सरी में दाखिले में धांधली करने वाले स्कूलों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने में अभिभावकों को मदद करने के लिए हेल्प डेस्क के रूप में काम करता है। यहां वे अपना नाम गुप्त भी रख सकते हैं। इन सभी शिकायतों को शिक्षा निर्देशालय को भेज दिया जाता है, ताकि वे इस पर जरूरी कार्रवाई कर सकें।

इस मुद्दे पर संज्ञान लेते हुए दिल्ली सरकार ने स्कूलों को एक परिपत्र जारी किया, जिसमें दाखिले की प्रक्रिया पर दिशानिर्देश दिया गया था। इस संदर्भ में सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक जन हित याचिका (PIL) दायर की और स्कूलों द्वारा नर्सरी दाखिले पर सरकारी आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए कोर्ट से हस्तक्षेप करने की मांग की। माननीय हाईकोर्ट ने याचिकाकर्त्ता के तर्क से सहमति जताते हुए 19 दिसंबर 2008 को इस संबंध में एक आदेश जारी किया।

मेरा वोट! मेरी पसंद! अभियान

स्कूल चयन अभियान ने 2009 लोकसभा चुनाव तक एक समानांतर मुद्दा आधारित अभियान का भी समन्वय किया। यह अभियान एक साथ झारखंड, उड़ीसा, राजस्थान, और दिल्ली में चलाया गया। इसमें शैक्षिक अवसरों में असमानता को लेकर राज नीतिक जागरूकता फैलाई गई। लगभग 200 सिटिंग लोकसभा सदस्यों को स्कूल चयन की जानकारी भेजी गई। उपर्युक्त राज्यों के उम्मीदवारों ने अपने–अपने क्षेत्रों में शिक्षा की स्थिति से संबंधित सूचनाएँ प्राप्त कीं। इसमें शिक्षा की समस्याओं के समाधान के लिए स्कूल चयन समाधान का भी ज़िक्र था। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के लिए असमर्थ विद्यार्थियों की ज़रूरतों पर ध्यान केंद्रित करते हुए अभियान में मतदाताओं को अपने उम्मीदवारों से 'अपनी पसंद की शिक्षा का अधिकार' मांगने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

स्कूल वाउचर्स फॉर गर्ल्स का समय नियोजन

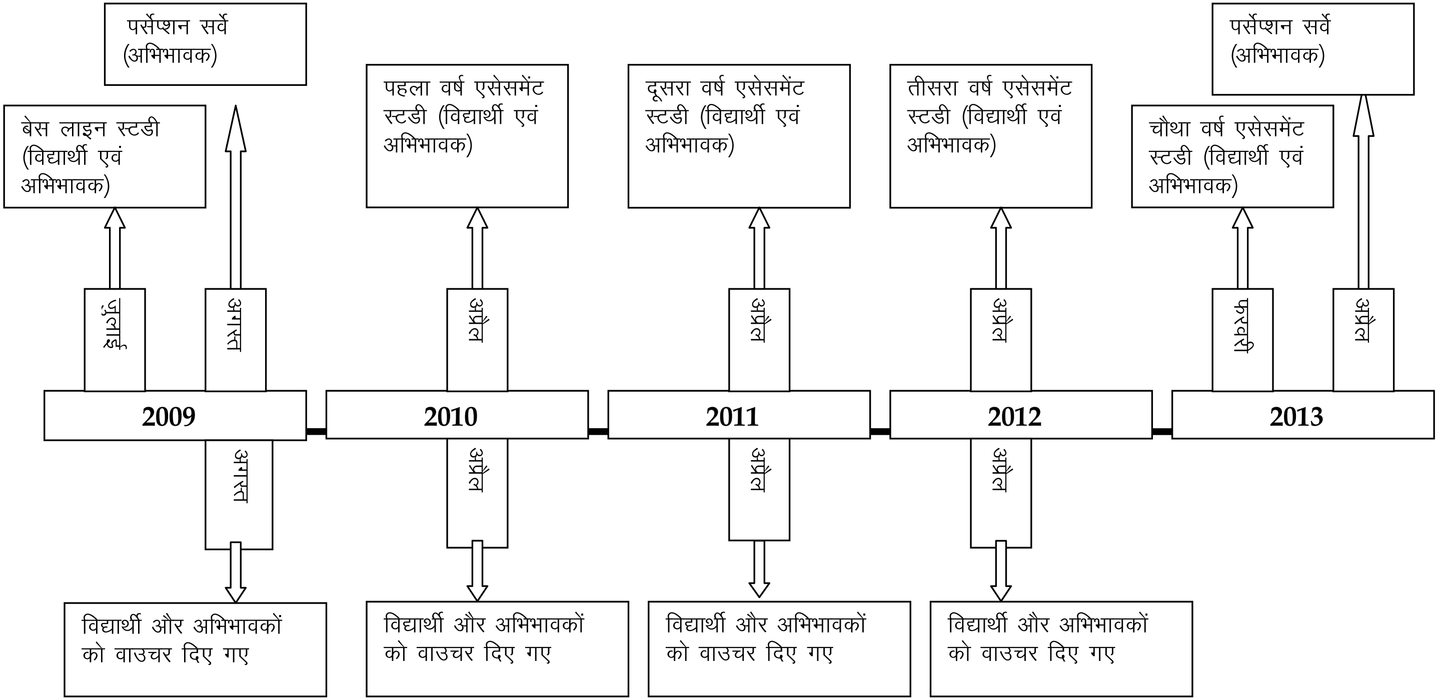

संबंधित स्कूलों की सूचना

स्कूल वाउचर्स फॉर गर्ल्स परियोजना विद्यार्थियों को अपनी पसंद के किसी भी स्कूल का चुनाव करने के लिए सशक्त बनाता है, लेकिन यह अभिभावकों/विद्यार्थियों को अपने स्कूलों का चुनाव करने के लिए प्रभावित नहीं करता है। इस दस्तावेज का उद्देश्य एक ही जगह स्कूलों की पूरी सूची और जरूरी सूचनाएं उपलब्ध कराना है। ताकि उन्हें निर्णय लेने में सुविधा हो।

	स्कूल का नाम	उपलब्ध कक्षाएं	स्कूल		शुल्क स्ट्रक्चर	
			मा.प्रा	स.शि	मासिक	दाखिला
	अवॉन ब्राइट पब्लिक स्कूल	नर्सरी–एलकेजी	नहीं	हाँ	200	
	वालिया पब्लिक स्कूल	नर्सरी–चौथी	हां	हाँ	250	400
	मैरी गोल्ड पब्लिक स्कूल	नर्सरी–पांचवीं	नहीं	हाँ	500	400
	जे.जी.एम. पब्लिक स्कूल	नर्सरी–पांचवीं	हाँ	हाँ	220	.
	गुडलक पब्लिक स्कूल	नर्सरी– पांचवीं	हाँ	हाँ	190	500
	इंडियन पब्लिक स्कूल	नर्सरी– पांचवीं	हाँ	हाँ	350	500

टिप्पणी :

मा.प्रा. : मान्यताप्राप्त स.शि. : सहशिक्षा खे.मै. : खेल का मैदान पे.ज. : पेयजल

म.षौ. : महिला शौचालय पु. : पुस्तकालय प. : परिवहन (अतिरिक्त शुल्क)

	सुविधाएँ					वाउचर की राशि मैं शामिल सुविधाएँ			
अन्य	खे.मै.	पेयजल	म.शा	पु	प.	फीस	यूनिफार्म	किताबें	अन्य शुल्क
50	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	2775	हाँ	हाँ	हाँ
150	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	3700	नहीं	नहीं	हाँ
200	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	3700	हाँ	हाँ	हाँ
150	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	3700	हाँ	हाँ	हाँ
550	नहीं	हाँ	नहीं	नहीं	नहीं	2775	हाँ	हाँ	हाँ
400	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	3700	नहीं	30% छूट	हाँ

	स्कूल का नाम	उपलब्ध कक्षाएं	स्कूल		शुल्क स्ट्रक्चर	
			मा.प्रा	स.शि	मासिक	दाखिला
	नव जीवन आदर्श पब्लिक सकूल	नर्सरी– पांचवीं	हाँ	हाँ	410	200
	आर.डी. मेमोरियल पब्लिक स्कूल	नर्सरी– पांचवीं	हाँ	हाँ	220	300
	आर्यन पब्लिक स्कूल	नर्सरी– पांचवीं	हाँ	हाँ	250	350
	एंजेलिक कॉनवेंट स्कूल	नर्सरी– आठवीं	नहीं	हाँ	150	300
	ऑरेकल पब्लिक स्कूल	नर्सरी– आठवीं	नहीं	हाँ	310	1000
	शिव पब्लिक स्कूल	नर्सरी– आठवीं	हाँ	हाँ	370	400
	मॉडर्न के.डी. फील्ड पब्लिक स्कूल	नर्सरी– आठवीं	हाँ	हाँ	525	..
	इमिनेंट पब्लिक सकूल	नर्सरी– आठवीं	हाँ	हाँ	280	200
	युनिवर्सल पब्लिक स्कूल	नर्सरी– आठवीं	हाँ	हाँ	410	200
	ग्रीन गार्डन पब्लिक स्कूल	नर्सरी– आठवीं	हाँ	हाँ	320	200

	सुविधाएँ					वाउचर की राशि मैं शामिल सुविधाएँ			
अन्य	खे.मै.	पेयजल	म.शा	पु	प.	फीस	यूनिफार्म	किताबें	अन्य शुल्क
700	नहीं	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	3700	नहीं	30% छूट	हाँ
300	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	3700	हाँ	हाँ	हाँ
180	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	3700	हाँ	हाँ	हाँ
520	नहीं	हाँ	नहीं	नहीं	हाँ	3700	हाँ	हाँ	हाँ
230	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	3700	हाँ	हाँ	हाँ
800	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	3700	हाँ	हाँ	हाँ
300	हां	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	3700	नहीं	हाँ	हाँ
200	हां	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	3700	हाँ	हाँ	हाँ
300	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	3700	नहीं	हाँ	हाँ
600	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	3700	नहीं	30% छूट	हाँ

	स्कूल का नाम	उपलब्ध कक्षाएं	स्कूल		शुल्क स्ट्रक्चर		
			मा.प्रा	स.शि	मासिक	दाखिला	अन्य
	न्यू तितिक्षा पब्लिक स्कूल	नर्सरी– आठवीं	हाँ	हां	200	300	500
	अतुल शिक्षा सदन	एलकेजी– आठवीं	हाँ	हां	280	200	200
	न्यू मून पब्लिक स्कूल	पहली–आठवीं	हाँ	हां	390	1500	150
	एम. एन. पब्लिक स्कूल	पहली–पांचवीं	हाँ	हां	300	1500	60
	न्यू आर.डी. पब्लिक स्कूल	पहली – पांचवीं	हाँ	हां	300	.	150
	शारदा पब्लिक स्कूल	एलकेजी–पांचवीं	हाँ	हाँ	230	1000	150
	गान्धी मैमोरियल स्कूल (ब्रह्मपुरी)	नर्सरी–पांचवीं	हाँ	हाँ	400	200	300
	गान्धी मैमोरियल स्कूल (मौजपुर)	नर्सरी–पांचवीं	हाँ	हाँ	400	200	300
	विवेकानन्द पब्लिक स्कूल			हाँ	230	100	150
	उशा बाल सेवा सदन पब्लिक स्कूल	पहली–आठवीं	हाँ	हाँ	200	300	180

सुविधाएँ					वाउचर की राशि मैं शामिल सुविधाएँ			
खे.मै.	पेयजल	म.शा	पु	प.	फीस	यूनिफार्म	किताबें	अन्य शुल्क
नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	3700	हाँ	हाँ	हाँ
हां	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	3700	हाँ	हाँ	हाँ
नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	3700	नहीं	30% छूट	हाँ
नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	3700	नहीं	30% छूट	हाँ
नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	3700	हाँ	हाँ	हाँ
हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	3700	हाँ	हाँ	हाँ
हाँ	हाँ	हाँ	हाँ		3700	हाँ	हाँ	हाँ
हाँ	हाँ	हाँ	हाँ		3700	हाँ	हाँ	हाँ
हाँ	हाँ	हाँ			3700	हाँ	हाँ	हाँ
नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	3700	हाँ	हाँ	हाँ

	स्कूल का नाम	उपलब्ध कक्षाएं	स्कूल		शुल्क स्ट्रक्चर		
			मा.प्रा	स.शि	मासिक	दाखिला	अन्य
	जे एम केनवेन्ट स्कूल	नर्सरी– आठवीं	हाँ	हाँ	300	000	150
	शिशु शिक्षा मन्दिर	एलकेजी–पांचवीं	हाँ	हाँ	220	100	210
	यू लाइक पब्लिक स्कूल	नर्सरी– पांचवीं	हाँ	हाँ	251	000	240
	नव ग्यान ज्योती स्कूल	एलकेजी– पांचवीं	हाँ	हाँ	220	1100	180
	भारती पब्लिक स्कूल	पहली – ग्यारहवीं	नहीं	हाँ	210	200	
	वर्धमान शिक्षा सदन	पहली – आठवीं	नहीं		100		
	अलका पब्लिक स्कूल	पहली – आठवीं	हाँ	हाँ	300	200	300
	न्यू होली चाइल्ड पब्लिक स्कूल	पहली – ग्यारहवीं	हाँ	हाँ	300	200	
	सुरभि पब्लिक स्कूल						

सुविधाएँ					वाउचर की राशि मैं शामिल सुविधाएँ			
खे.मै.	पेयजल	म.शा	पु	प.	फीस	यूनिफार्म	किताबें	अन्य शुल्क
हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	3700	नहीं	नहीं	हाँ
हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	3700	हाँ	हाँ	हाँ
नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	3700	हाँ	हाँ	हाँ
हाँ	हाँ	हाँ	हाँ		3700	हाँ	हाँ	हाँ
नहीं	हाँ	नहीं	नहीं	हाँ	3700	नहीं	हाँ	हाँ
नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	3700	हाँ	हाँ	हाँ
नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	3700	हाँ	हाँ	हाँ
नहीं	हाँ	हाँ	हाँ		3700	हाँ	हाँ	हाँ
	हाँ				3700	हाँ	हाँ	हाँ

एफीलिएटेड सकूलों का संपर्क

	स्कूल का नाम	संपर्क व्यक्ति	पता	फोन
1	अवॉन ब्राइट पब्लिक स्कूल	अनिल जैन	ए–48, मेन रोड , कैथवाड़ा	9212719089
2	मैरी गोल्ड पब्लिक स्कूल	संगीता जिंदल	गली 1, सुभाष पार्क, नवीन शहादरा	9958325051, 9971485547
3	जे.जी.एम. पब्लिक स्कूल	विकास जैन	ए–85, (स्ट्रीट नं.8), कैथवाड़ा, न्यू उस्मानपुर, दिल्ली 53	22857766, 9213330297
4	शारदा पब्लिक स्कूल	कृष्णा रावल	गली न 5, चौहान वानगर	9818770320
5	अैरेकल पब्लिक स्कूल	फहीम एहमद	मटके वाली गली, चैहान बंगड़	9350684421
6	गान्धी मैमोरियल स्कूल (ब्रह्मपुरी)	नथ्थु सिंह	के 34, गली नं 12, ब्रह्मपुरी	22563205, 9310418898
7	विवेकानन्द पब्लिक स्कूल	अनील त्यागी	अे 31, मौजपूर	22563364
8	उशा बाल सेवा सदन पब्लिक स्कूल	आर के गुप्ता	गली न 13, एक्स ब्लाक, ब्रहमपुरी	22173606
9	जे एम केनवेन्ट स्कूल		पूरी गली, मौजपूर	22569424
10	शिशु शिक्षा मन्दिर	के पी वर्मा	गली न 9, एक्स ब्लाक, ब्रहमपुरी	93139316719
11	यू लाइक पब्लिक स्कूल	सतीश कपिल	गली न 12,ब्रहमपुरी	9310908797
12	नव ग्यान ज्योती स्कूल	सुरदीप शर्मा	86, फस्ट पुश्ता, न्यू उसमान पुर	

	स्कूल का नाम	संपर्क व्यक्ति	पता	फोन
13	गुडलक पब्लिक स्कूल	तनवीर निरजा	गली सं. 5, चौहान बांगर	9310813949
14	इंडियन पब्लिक स्कूल	श्री आदेश शर्मा	गली सं 14, सुभाष पार्क	22827808
15	नव जीवन आदर्श पब्लिक स्कूल	बिनोद बाला सोनी	नवजीवन आदर्श पब्लिक स्कूल, डी 71/1, मेन जाफराबाद रोड, चौहान बांगर	22189290
16	आर.डी. मेमोरियल पब्लिक स्कूल	पूनम शर्मा	313, बदरपुर, शहादरा	65249739
17	आर्यन पब्लिक स्कूल	श्रीमती रेखा रावल	सी–214, मेन रोड, ब्रह्मपुरी, दिल्ली	22186568
18	भारती पब्लिक स्कूल	प्रदीप जैन	अे 83, कैथवाड़ा, उसमानपुर	9868371552
19	वर्धमान शिक्षा सदन	अजे कुमार जैन	अे 81 कैथवाड़ा, उसमानपुर	22176878 9868106548
20	अलका पब्लिक स्कूल	दिनेश जेयिन	हरिओम गलि, बदरपूर	9210475563
21	गान्धी मैमोरियल स्कूल (मौजपुर)		गली अखाड़े वाली, मौजपूर	22568385, 9811107884

	स्कूल का नाम	संपर्क व्यक्ति	पता	फोन
22	एंजेलिक कॉनवेंट स्कूल	शाकित अहमद	आर.के. मार्ग, गली. 5, चौहान बांगर	9313173065
23	शिव पब्लिक स्कूल	श्री प्रशांत अग्रवाल	गली 7, सुभाष पार्क, कीर्ति मंदिर के निकट	22826414
24	मॉडर्न के.डी. फील्ड पब्लिक स्कूल	सुश्री अंजु रस्तोगी	1/1170, पंचशील गार्डन, नवीन शहादरा	22824409
25	इमिनेंट पब्लिक सकूल	वी.सी. सक्सेना	15ई, प्रेम गली, बदरपुर, शहादरा	65095570
26	युनिवर्सल पब्लिक स्कूल	ऊषा रानी	135, मेन रोड, मौज पुर दिल्ली 53	22917284
27	होली चाइल्ड पब्लिक स्कूल	देवेंद्र प्रसाद शर्मा	अशोक महल्ला, मौजपुर, दिल्ली 53, (रिलायंस फ्रैश के निकट)	20903746
28	ग्रीन गार्डन पब्लिक स्कूल	बी.एस. तोमड़	287, मेन रोड, ब्रह्मपुरी, गोंडा, दिल्ली 53	22184155

	स्कूल का नाम	संपर्क व्यक्ति	पता	फोन
29	न्यू तितिक्षा पब्लिक स्कूल	इंदु कांता	121, मेन रोड, मौजपुर	22914148
30	अतुल शिक्षा सदन	के. तोमर	36, मेन रोड, बदरपुर, शह. ादरा, दिल्ली 32	22824871
31	न्यू मून पब्लिक स्कूल	अफजल अहमद	145, लेन नं. 10, जाफराबाद	22196974
32	एम. एन. पब्लिक स्कूल	मो. साजिद	412/20, मेन रोड, जाफराबाद	9891108863
33	न्यू आर.डी. पब्लिक स्कूल	सुश्री संतोष शर्मा	1/11406 सी, स्ट्रीट नं.11, सुभाष पार्क	65293728
34	सुरभि पब्लिक स्कूल	श्रीमति सीमा शर्मा	गली नं 11, ब्रह्मपुरी मैन रोड	9868102810
35	वालिया पब्लिक स्कूल	श्री के.एल. वालिया	C-115, न्यू उस्मानपुर	

स्कूल चुनने संबंधी दिशा–निर्देश

हालांकि अपने बच्चों के लिए स्कूल का चुनाव करना पूरी तरह अभिभावकों की इच्छा पर है, फिर भी उन्हें सलाह दी जाती है कि दाखिले के लिए आवेदन करने से पहले वे एक बार स्कूल जाकर देख आवें। इस तरह वे स्कूल के अधिकारियों से उन मामलों की भी जानकारी ले सकते हैं, जिसका ज़िक्र इस दस्तावेज में नहीं है। इससे उन्हें एक सम्यक विचार बनाने में मदद मिलेगी। सही स्कूलों का चुनाव करने के दौरान अभिभावक निम्नलिखित बिंदुओं को भी ध्यान में रख सकते हैं :

पाठ्यक्रम और स्थान

- आप प्राचार्य से पता कर सकते हैं कि स्कूल मान्यताप्राप्त है या नहीं और यह देख सकते हैं कि वहां कौनसा पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है।
- आप स्कूल की ओर से दी जाने वाली किसी ट्रांसपोर्टेशन सुविधा और उसके शुल्क के बारे में पता कर सकते हैं।
- यदि स्कूल ट्रांसपोर्टेशन सुविधा नहीं देता है, तो आप देख सकते हैं कि स्कूल आपके घर से कितना पास है और आपकी पुत्री को स्कूल जाने या घर आने में कितनी सुविधा होगी।

साफ–सफाई

- आप देख सकते है कि लड़कियों के लिए अलग शौचालय है या नहीं।
- आप पता कर सकते हैं कि बच्चों के लिए स्वच्छ पेय जल उपलब्ध है या नहीं।
- आप स्कूल परिसर की स्वच्छता का मुआयना कर सकते हैं।

- आप पूछ सकते हैं कि किसी आपात स्थिति के लिए स्कूल में प्राथमिक उपचार की सुविधाएँ हैं या नहीं।

दाखिला प्रक्रिया

- आप ऐसे अतिरिक्त शुल्कों के बारे में पूछ सकते हैं, जो वाउचर में शामिल नहीं है और जिसका खर्च आपको खुद उठाना होगा, जैसे, दाखिला, परीक्षा शुल्क, पोशाक और किताबें, वार्षिक शुल्क, आदि।
- आप प्राचार्य महोदय से बात कर शुल्कों को कम करने के लिए भी मोल–तोल कर सकते हैं ताकि आपके लिए खर्च अधिक ना पड़े।
- आप यह पूछ सकते हैं कि स्कूल में अभिभावक–शिक्षक मीटिंग कितने दिनों में हुआ करती है।

शैक्षिक प्रदर्शन

- आप प्राचार्य महोदय से बातकर स्कूल के शैक्षिक रिकॉर्ड की जानकारी ले सकते हैं, मसलन पास पर्सेंटेज, सर्वाधिक अंक, और स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या।
- आप पूछ सकते हैं कि रिमेडियल सहयोग की जरूरत वाले विद्यार्थियों के लिए क्या सुविधाएं हैं।

अतिरिक्त सुविधाएं

- यदि आपकी पुत्री की खेल–कूद में अभिरुचि है, तो आप यह जरूर देखें कि स्कूल में खेल का मैदान, या इंडोर गेम्स की सुविधाएं हों।

- पुस्तकालय भी ऐसे बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, जो खुद अधिक किताबें नहीं खरीद सकते हैं, इसलिए पता कीजिए कि वहाँ पुस्तकालय है या नहीं।
- यदि स्कूल में कंप्यूटर सिखाया जाता हो, तो वह भी एक अतिरिक्त लाभ होगा।
- यदि स्कूल में कुछ खाने को दिया जाता है, तो पता कीजिए की उसकी गुणवत्ता कैसी है।

शिकायत प्रक्रिया और अन्य सहयोग

- आपको यह भी पता करना चाहिए कि शिक्षक के अनुपस्थित रहने या कोई सुविधा नहीं मिलने पर शिकायत दर्ज कैसे कराते हैं और शिकायत किसके नाम करनी पड़ती है।
- पता कीजिए कि क्या शिक्षक छात्रों से गलती होने पर (गृहकार्य नहीं करना, व्यवहार, आदि) उन्हें सजा देते हैं, और यदि हाँ तो कैसी सज़ा देते हैं।
- यदि स्कूल का कोई व्यक्ति आपकी पुत्री के साथ गलत व्यवहार करता है, तो सुनिश्चित कीजिए कि आपको इसका पता चले और आप प्रधानाचार्य को इसकी शिकायत करें।
- यदि आपके बच्चे में कोई अपंगता है, तो ऐसे स्कूल का चुनाव कीजिए जहां ऐसे बच्चों पर इंफ्रास्ट्रक्चर (सुविधाऐं) और शिक्षकों के व्यवहार दोनों ही रूपों में विशेष ध्यान दिया जाता हो।

दिल्ली सरकार परेशानी में घिरे बच्चों के लिए एक हेल्प लाइन चलाती है; यह चाइल्ड हेल्प लाइन का नंबर 1098 है, जिसपर किसी भी लैंडलाइन नंबर से फोन किया जा सकता है।

पेमेंट सूचना

	शैक्षणिक सत्र	वजीफा राशि	वजीफा देने का समय
1.	2009 – 2010	Rs 3700	अगस्त 2009
2.	2010 – 2011	Rs 3800	अप्रैल 2010
3.	2011 – 2012	Rs 3900	अप्रैल 2011
4.	2012 – 2013	Rs 4000	अप्रैल 2012

छात्रवृत्ति के नियम

– यह पूर्णतः स्कूल च्वाइस कैंपेन की परियोजना है और इसका किसी सरकारी निकाय से कोई संबंध नहीं है।

– यह छात्रवृत्ति सिर्फ ऐसी चयनित छात्राओं को प्रदान की जाएगी, जो इस योजना के तहत इस छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करते समय किसी भी चुने हुए वार्ड के अंतर्गत आने वाले दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) स्कूल में कक्षा 2 में पढ़ रही हो। छात्रा का नाम किसी निजी विद्यालय में दर्ज नहीं होना चहिए।

– इस छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने वाले अभिभावकों को, यदि छात्रा को छात्रवृत्ति मिलती है, तो छात्रा को सरकारी विद्यालय से निकाल कर सूची में शामिल किसी निजी विद्यालय में दाखिल कराने के लिए तैयार रहना चाहिए। अन्यथा छात्रा छात्रवृत्ति पाने के लिए योग्य नहीं मानी जाएगी।

– लाभार्थियों का चुनाव रैंडम पद्धति से किया जाएगा। इसमें पारदर्शिता बरती जाती है तथा सभी योग्य छात्राओं को समान अवसर मिलता है।

– इस योजना के तहत छात्रवृत्ति चार सालों के लिए या पाँचवीं कक्षा तक, जो भी पहले पूरा हो, दी जाएगी। साथ ही छात्रा का हर साल ऊपर की कक्षा में प्रोन्नत होना जरूरी है।

– छात्रवृत्ति अभिभावक द्वारा चुने सूचीबद्ध विद्यालय में चुनी हुई छात्रा की शिक्षा पर होने वाले खर्च के लिए दी जाएगी और यह इस दस्तावेज में किसी अन्य जगह दर्ज अधिकतम सीमा से अधिक नहीं होगी साथ ही यह राशि सीधे विद्यालय को अदा की जाएगी।
– प्रत्येक छात्रवृत्ति की राशि प्रथम वर्ष अधिकतम 3700 रुपए (सिर्फ सैंतीस सौ भारतीय रुपए) होगी। हर आगामी साल इस राशि में सौ रुपए (सिर्फ एक सौ भारतीय रुपए) की बढ़ोतरी की जाएगी।
– लाभार्थियों के अभिभावक यदि वर्तमान स्कूल से संतुष्ट नहीं हों, तो वे अपनी बच्ची को सूची में शामिल किसी दूसरे विद्यालय में स्थानांतरित करने के लिए स्वतंत्र होंगे, लेकिन उन्हें लिखित रूप में एससीसी या सीसीएस को इसकी सूचना और नए स्कूल में दाखिले के दस्तावेजी सबूत जमा करने होंगे।
– छात्रवृत्ति के वितरण की प्रक्रिया सूची में शामिल विद्यालय की सलाह से तय की जाएगी।
– एससीसी या सीसीएस या इसके किसी भी प्राधिकृत एजेंट को यह अधिकार होगा कि वह कल्याण कार्य और आम रूप से सभी बच्चों के शैक्षिक अवसरों के लिए निरंतर सहयोग की जरूरत को ध्यान में रखते हुए चुनी हुई बच्ची से संबंधित सूचनाओं का उपयोग इस परियोजना का प्रचार करने और/या परियोजना के लिए फँड उगाहने में करे।
– एससीसी या सीसीएस या इस उद्देश्य के लिए नियुक्त अन्य कोई संगठन आधारवर्ष और/या सालाना और/या अंतर्वार्शिक सर्वेक्षण और मूल्यांकन करेगा। उन्हें विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि, मोटिवेशन लेवल में आए बदलाव और अभिभावकों की भागीदारी के स्तर को मापने में अभिभावक पूरी तरह सहयोग देंगे।
– किसी भी विवाद या गलतफ़हमी की स्थिति में एससीसी और सीसीएस अलग–अलग और सम्मिलित रूप से निर्णायक प्राधिकारी होंगे।

सूचीबद्ध स्कूलों की ज़िम्मेदारियां

– स्कूल, किसी भी समय मांगे जाने पर, किसी भी लाभार्थी बच्चे के उस स्कूल में शिक्षा की निरंतरता से संबंधित

योग्य दस्तावेजी सबूत उपलब्ध कराएगा।

– स्कूल लाभार्थी बच्चों के साथ भेद–भावपूर्ण व्यवहार नहीं करेगा और उन पर अन्य विद्यार्थियों की तुलना में किसी भी तरह से कम ध्यान नहीं देगा।

– स्कूल बच्चों को नए स्कूली परिवेश में ढलने और अपने अध्ययन में बेहतर करने के लिए अभिभावकों के साथ मिलकर कार्य करेगा और खुद ज़रूरी कदम उठाएगा।

अभिभावकों की ज़िम्मेदारियां

– बच्चों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करना

– नए स्कूल जाने के लिए बच्चों को अपने खर्च पर यातायात की सुविधा देना

– बच्चों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराने की व्यवस्था खुद करना

– जब भी ज़रूरत हो छात्रवृत्ति पाने वाले नए बच्चों के लिए अपने अनुभव बाँटना

– स्कूल की अभिभावक शिक्षक मीटिंग में उपस्थित होना और बच्चों के दस्तावेजों/स्कूल से संबंधित दस्तावेजों को संभाल कर रखना

– अभिभावकों को अपने घर का पता या संपर्क नंबर में किसी तरह का बदलाव होने पर अविलंब और अनिवार्य तौर पर स्कूल चयन अभियान को इसकी सूचना देना।

______________________	______________________	______________________
अभिभावक का हस्ताक्षर	**छात्रा का नाम**	**तिथि**

(यहाँ अपना हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान देने का अर्थ है कि आपको उपर्युक्त नियम और शर्तें स्वीकार हैं)

स्कूल वउचर

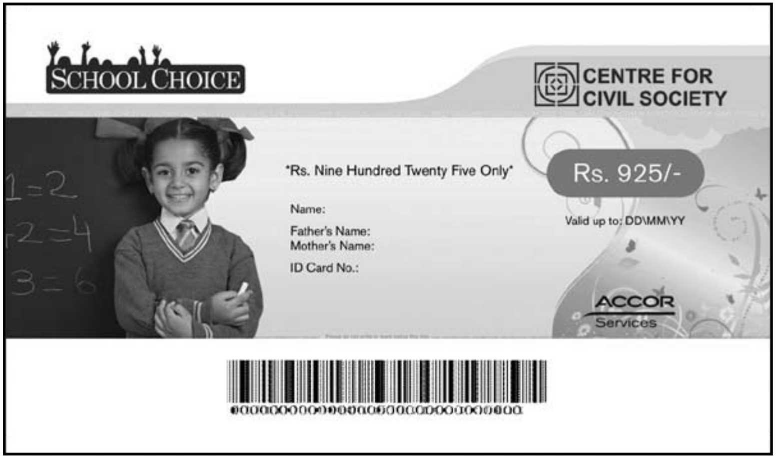
SCHOOL CHOICE

CENTRE FOR CIVIL SOCIETY

"Rs. Nine Hundred Twenty Five Only"

Rs. 925/-

Name:

Father's Name:

Mother's Name:

ID Card No.:

Valid up to: DD\MM\YY

ACCOR Services

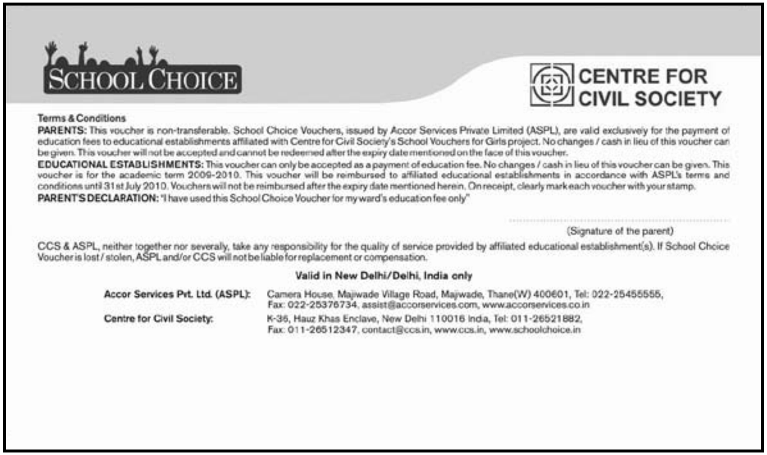
SCHOOL CHOICE

CENTRE FOR CIVIL SOCIETY

Terms & Conditions

PARENTS: This voucher is non-transferable. School Choice Vouchers, issued by Accor Services Private Limited (ASPL), are valid exclusively for the payment of education fees to educational establishments affiliated with Centre for Civil Society's School Vouchers for Girls project. No changes / cash in lieu of this voucher can be given. This voucher will not be accepted and cannot be redeemed after the expiry date mentioned on the face of this voucher.

EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS: This voucher can only be accepted as a payment of education fee. No changes / cash in lieu of this voucher can be given. This voucher is for the academic term 2009-2010. This voucher will be reimbursed to affiliated educational establishments in accordance with ASPL's terms and conditions until 31st July 2010. Vouchers will not be reimbursed after the expiry date mentioned herein. On receipt, clearly mark each voucher with your stamp.

PARENT'S DECLARATION: "I have used this School Choice Voucher for my ward's education fee only"

....

(Signature of the parent)

CCS & ASPL, neither together nor severally, take any responsibility for the quality of service provided by affiliated educational establishment(s). If School Choice Voucher is lost / stolen, ASPL and/or CCS will not be liable for replacement or compensation.

Valid in New Delhi/Delhi, India only

Accor Services Pvt. Ltd. (ASPL):	Camera House, Majiwade Village Road, Majiwade, Thane(W) 400601, Tel: 022-25455555, Fax: 022-25376734, assist@accorservices.com, www.accorservices.co.in
Centre for Civil Society:	K-36, Hauz Khas Enclave, New Delhi 110016 India, Tel: 011-26521882, Fax: 011-26512347, contact@ccs.in, www.ccs.in, www.schoolchoice.in

सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी (सीसीएस)
सार्वजनिक नीति के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन

सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी (नागरिक समाज केन्द्र) की स्थापना 15 अगस्त, 1997 को की गई थी। यह एक स्वतंत्र, लाभ न कमाने वाला, अनुसंधान और हिमायती संगठन है जो नागरिक समाज को पुनर्जीवित एवं ओजस्वी बनाते हुऐ भारत के समस्त नागरिकों के लिए जीवन की गुणता के सुधार के काम में लगा हुआ है। लेकिन हम न तो प्राथमिक पाठशालायें चलाते हैं और न ही स्वास्थ्य केन्द्र और कूड़ा करकट एकत्र करने के कामों को भी हाथ में नहीं लेते। हमारा काम करने का ढंग अलग हैः हम अनुसंधान कार्यक्रमों, सेमिनारों और प्रकाशनों के माध्यम से लोगों के विचारों, अभिमतों और विचार पद्धति में परिवर्तन लाने की कोशिश करते हैं। हम सीमित नियंत्रण, विधि सम्मत शासन, मुक्त व्यापार और व्यक्तिगत अधिकारों की हिमायत करते हैं।

भारत को इस समय पेश आने वाले विवेचित सार्वजनिक नीति विषयों विशेषतः शिक्षा, आजीविका,शासन और पर्यावरण के क्षेत्रों में प्रवर्तक समुदाय और बाजार आधारित धारणाओं के लिए हमसंबल के रूप में हैं। वर्तमान और भावी नेताओं के सामने इन विचारों को रखते हुए, नागरिक समाजकेन्द्र समस्त भारतवासियों के लिए अवसर और समृद्धि प्रस्तुत कर रहा है।

1. उत्कष्ट शिक्षा के माध्यम से पहुंच में सुधार

नागरिक समाज केन्द्र की अति महत्वपूर्ण परियोजना का नाम स्कूल चयन अभियान है और इसे वर्ष 2007 में आरंभ किया गया था। यह ऐसा अभियान है जिसमें वर्तमान भारत की स्कूली शिक्षा पद्धति में बहुत ही ज़रूरी सुधार किए जाएँगे और इसके लिए शिक्षा प्रमाणकों, नियामक सुधारों और प्रोत्साहक शिक्षा जिज्ञासुओं की त्रि–भुजा पहुंच का प्रयोग किया जाएगा।

40 प्रतिशत भारतवासी अशिक्षित हैं, और सरकारी स्कूल भारत के बच्चों की ज़रूरतों पर खरे नहीं उतरते। नागरिक समाज केन्द्र गुण सुधार, विशेषकर गरीबों के लिए शिक्षा की पहुंच पर प्रकाश डालता है। नीति निर्धारकों, शिक्षा विशेषज्ञों और आम कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर स्कूली चयन अभियान हमारा ध्यान दाखिले के अवरोधों को हटाने और शिक्षा प्राप्त करने वालों के प्रोत्सानत में केन्द्रित करता है और स्कूलों और कॉलेजों को लाभप्रद बनाते हुए विधि और विस्तार की गुंजाइश और शिक्षा प्रमाणकों के माध्यम से प्रतिस्पर्धाओं की ओर आगे बढ़ता है।

2. नए विचारों से युक्त नये नेताओं का विकास

नगरिक समाज केन्द्र भावी भारतीय नेताओं को उनकी दृष्टि, इरादों एवं सक्रियतावाद से आगे बढ़कर काम करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस केन्द्र के पथप्रदर्शक शिक्षा कार्यक्रमों से युवाओं को उनकी कुशलताओं और ज्ञान से युक्त किया जाता है जो सार्वजनिक नीति सुधार के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन को विकसित करने के लिए ज़रूरी है। समाज और सार्वजनिक नीति सेमिनार, जिसे पहले अधिकार और समाज सेमिनार कहते थे, चार दिवसीय रिहायशी कार्यक्रम है जिसे इस प्रकार तैयार किया गया है ताकि परम्परागत विश्वासों को चुनौती दी जा सके और कॉलेज के विद्यार्थियों में विवादित सोच विचार विकसित किया जा सके। अनुसंधान इन्टर्नशिप कार्यक्रम सार्वजनिक नीति पर आम अनुसंधान के लिए अवसर प्रदान करता है। नागरिक समाज केन्द्र ऐसे नेताओं के लिए नेटवर्क तैयार कर रहा है जो अपने समुदायों में इन विचारों का वास्तविक जीवन में उपयोग करने में कार्यरत हों।

3. आजीविका के लिए अवरोध दूर करना

नागरिक समाज केन्द्र ऐसे नियामक अवरोधों को दूर करने के लिए काम करता है जिनसे अनौपचारिक क्षेत्र में विकास और उद्यमी अवसर सीमित हो जाते हैं। अपने पुरस्कृत प्राप्त ''कानून, स्वतन्त्रता और आजीविका'' अभियान के माध्यम से यह केन्द्र अपना ध्यान इस बात पर केन्द्रित करता है ताकि परमिट प्रक्रियाओं को घटाया और सरल बनाया जाए जिनसे छोटे उद्यमियों,दुकानदारों, फेरी वालों और रिक्शा चलाने वालों को अपने व्यवसाय को स्थापित करने और आगे

बढ़ाने से रोका जाता है। नागरिक समाज केन्द्र अपने प्रवर्तक और स्थापक कार्यक्रम जैसे जीविका, ऐशिया आजीविका प्रलेखी वार्षिक त्यौहार के माध्यम से छोटे उद्यमियों को पेश आने वाली बाधाओं के प्रति जागरूकता का निर्माण कर रहा है (www.ccs.in)

4. सरकारी शासन में भ्रष्टाचार, कपट और दुरूपयोग के कारण भारत में बहुत से समुदायों को आधारभूत सेवाऐं जैसे पानी, बिजली और परिवहन की पहुंच नहीं हो पाती है। सरकार नागरिकों के प्रति अपने कार्य–निष्पादन के लिए न तो पारदर्शी होती है और नही जवाबदेह। नागरिक समाज केन्द्र सरकारी कार्यक्रमों की कुशलता और प्रभावोत्पादकता में सुधार ला रहा है और सुविज्ञ नागरिक वर्ग का निर्माण कर रहा है। सार्वजनिक नीति बैठकों, विचार विमर्शों और प्रकाशनों के माध्यम से केन्द्र नई सार्वजनिक प्रबन्धन पद्धतियों और विकेन्द्रीकष्त शासन ढांचों को अपनाने के लिए बढ़ावा दे रहा है। पहले से उपलब्ध कराई गई इसकी नागरिक पुस्तिका में सरकारी बजटों, विभिन्न राज्यों में प्रबन्ध व्यवस्था और कार्यक्रमों को अमली रूप देने के बारे में गैर–दस्तावेजी सूचना दी गई है। केन्द्र का ''प्रकाशित करने का कर्तव्य'' अभियान यह मांग करता है कि सरकार अग्रलक्षी रूपसे नागरिकों के साथ सूचना का आदान–प्रदान करे। महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा हुआ है कि कर–दाता के धन का उपयोग कैसे किया जाये।

SCHOOL CHOICE

Fund Students, Not Schools!

स्कूल चयन अभियान

के – 36, हौज खास इन्क्लेव, नई दिल्ली – 110016

Tel: 2653 7456 / 2652 1882 Mob: 9753059097

Fax: +91 11 2651 2347 Email: joinus@schoolchoice.in